रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 529] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 27, 1971/कार्तिक 5, 1893

No. 529] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 27, 1971/KARTIKA 5, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

## ELECTION COMMISSION OF INDIA

### NOTIFICATIONS

*New Delhi, the 27th October 1971*

**S.O. 4044.**—Whereas a vacancy has occurred in the Council of States consequent upon the resignation of Shri Jogendra Singh a member elected in the Council of States by the elected members of the Legislative Assembly of the State of Uttar Pradesh before the expiration of his term of office;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 147 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby calls upon the elected members of the Legislative Assembly of the State of Uttar Pradesh to elect, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person to fill the vacancy so caused before the 17th November, 1971 (Wednesday).

[No. 100/CS-UP/12/71(1).

## भारत निर्वाचन आयोग

### अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 1971

**एस० ओ० 4044.**—यतः उत्तर प्रदेश विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए निर्वाचित सदस्य श्री जोगिन्दर सिंह की पदावधि के अवसान से पूर्व त्यागपत्र दे दिए जाने से राज्य सभा में एक स्थान रिक्त हो गया है;

अतः अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 147 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में निर्वाचित आयोग उत्तर प्रदेश राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से एतद्द्वारा अपेक्षा करता है कि वे ऐसे हुई रिक्ति को भरने के लिये 17 नवम्बर, 1971 (बुधवार) से पूर्व उक्त अधिनियम के और तद्धीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अनुसार एक व्यक्ति निर्वाचित कर दें।

[सं० 100/रा०स०—उ० प्र०/12/71 (1)]

**S.O. 4045.**—In pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 39 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby appoints for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-UP/12/71(1), dated the 27th October, 1971:—

(a) the 3rd November, 1971 (Wednesday), as the last date for making nominations;

(b) the 4th November, 1971 (Thursday), as the date for the scrutiny of nominations;

(c) the 6th November, 1971 (Saturday), as the last date for the withdrawal of candidatures;

(d) the 13th November, 1971 (Saturday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and

(e) the 17th November, 1971 (Wednesday), as the date before which the election shall be completed.

[No. 100/CS-UP/12/71(2).]

**एस० ओ० 4045.**—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/रा०स०/उ०प्र०/12/71(1) तारीख 27 अक्तूबर 1971 के अनुसरण में राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के बारे में—

| | | |
|---|---|---|
| (क) | नामनिर्देशन करने के लिए अन्तिम तारीख | 3 नवम्बर 1971 (बुधवार) |
| (ख) | नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख | 4 नवम्बर 1971 (बृहस्पतिवार) |
| (ग) | अभ्यर्थिता वापस लेने की अन्तिम तारीख | 6 नवम्बर 1971 (शनिवार) |
| (घ) | वह तारीख जिसको यदि आवश्यक हो तो मतदान होगा तथा | 13 नवम्बर 1971 (शनिवार) |
| (ङ) | वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन समाप्त कर दिया जाएगा | 17 नवम्बर 1971 (बुधवार) |

एतद्द्वारा नियत करता है।

[सं० 100/रा०स०-उ०प्र०/12/71(2)]

**S.O. 4046.**—In pursuance of section 56 of the Representation of the People Act 1951, the Election Commission hereby fixes the hours from 10-00 a.m. to 3-30 p.m. as the hours during which a poll shall, if necessary, be taken for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-UP/12/71(1); dated the 27th October, 1971.

[No. 100/CS-UP/12/71/(3).]

**एस० ओ० 4046.**—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 56 के अनुसरण निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100-रा०स०-उ०प्र० 12/71 (1), तारीख 27 अक्तूबर, 971 के अनुसरण में राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए 10 बजे पूर्वाह्न से 3-30 बजे अपराह्न तक का समय उस समय के रूप में एतद्द्वारा नियत करता है जिस के दौरान यदि आवश्यक हो तो, मतदान होगा ।

[सं० 100/रा०स०-उ०प्र०/12/71 (3)]

**S.O. 4047.**—In pursuance of the provisions of section 21 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission, in consultation with the Govt. of Uttar Pradesh, hereby designates the Secretary, Uttar Pradesh State Legislature, as the Returning Officer for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-UP/12/71(1), dated the 27th October, 1971.

[No. 100/CS-UP/12/71(4).]

**एस० ओ० 4047.**—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश सरकार के परामर्श से, अपनी अधिसूचना सं० 100-रा० स०उ०प्र०-12-71 (1), तारीख 27 अक्तूबर, 1971 के अनुसरण में राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए उत्तर प्रदेश विधान मंडल के सचिव को रिटर्निंग आफिसर के रूप में एतद्द्वारा पदाभिहित करता है ।

[सं० 100-रा०स०-उ०प्र०/12/71 (4)]

**S.O. 4048.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby appoints the Secretary, Uttar Pradesh Legislative Assembly, to assist the Returning Officer for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-UP/12/71(1), dated the 27th October, 1971, in the performance of his functions.

[No. 100/CS-UP/12/71(5).]

By Order,

A. N. SEN, Secy.

**एस० ओ० 4048.**—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 22 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100-रा०स०-उ०प्र०-12-71 (1), तारीख 27 अक्तूबर, 1971 के अनुसरण में राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर की उसके कृत्यों के पालन में सहायता करने के लिए उत्तर प्रदेश विधान सभा के सचिव की एतद्द्वारा नियुक्ति करता है ।

[सं० 100/रा० स०-उ० प्र०/12/71(5)]

आदेश,

ए० एन० सैन, सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971